62/

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या 532/XXVII(9)/2012/स्टाम्प–28/2012
देहरादून: दिनांक 18 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 25 वर्ष 1955) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह नियमावली, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियमावली, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 10 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन नियमावली, 1973, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (एक) और खण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10 (1) विवाह के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र पर शुल्क होगा– (एक) ₹ 2.00, विवाह संस्कार सम्पन्न होने के दो माह के अन्दर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र पर। (दो) ₹4.00, विवाह संस्कार सम्पन्न होने के दो माह पश्चात विवाह के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र पर नगद अथवा मनीआर्डर द्वारा रजिस्ट्रार को भुगतान करने पर।	10(1) विवाह के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र पर शुल्क होगा– ₹100.00, विवाह संस्कार सम्पन्न होने के पश्चात् विवाह के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र पर नगद रजिस्ट्रार को भुगतान करने पर।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

क्रमश:..2...

C:\Documents and Settings\admin\Desktop\RBU\Rules Draft.doc

संख्या 532-(1)/XXVII(9)/2012/स्टाम्प–28/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. न्याय/विधायी अनुभाग।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकार, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को (अंग्रेजी के रूपान्तरण सहित) आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 200–200 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 532 /XXVII(9)/ 2012/ Stamp-28/2012 Dehradun: dated: 18 SEPT. ~~August~~ , 2012 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No. 532 /XXVII(9)/ 2012/Stamp-28/2012
Dehradun: Dated: 18 ~~August~~, 2012
SEPT.

<u>Notification</u>

In exercise of the powers conferred by section 21 of the General Clauses A 1897 (Central Act No. 10 of 1897) read with sub-section (1) of section 8 of the Hinc Marriage Act, 1955 (Central Act no- 25 of 1955), the Governor is pleased to make tl following rules in view further amend the Uttar Pradesh Hindu marriage Registratic Rules, 1973 (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State ‹ Uttarakhand:-

<u>The Uttarakhand Hindu marriage Registration (amendment) Rules, 2012</u>

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhan Hindu Marriage Registration (Amendmen Rules, 2012.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 10 2. In the Hindu Marriage Registration Rules, 197: for the existing clause (i) and clause (ii) of sub rule (1) of rule 10, as set out in column below, the rule as set out in column 2, shall b Substituted; namely:-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rules as hereby substituted**
10(1) The fee for entertaining an application for registration of a marriage shall be- **(i)** Rs. 2.00, if the application for registration of a marriage is made within two months of the date of the solemnization; **(ii)** Rs. 4.00, if the application for registration of a marriage is made after two months of the date of its solemnization and shall be paid to the Registrar either in cash or by money order.	**10(1)** The fee for entertaining a: application for registration of a marriag‹ shall be- Rs. 100.00, if the application fo registration of a marriage is made afte solemnization and shall be paid to th‹ Registrar in cash.

By Order

(Radha Raturi)
Secretary.

C:\Documents and Settings\admin\Desktop\RBU\Rules Draft.doc